



प्रेस विज्ञप्ति
2/07/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने 03.05.2024 को बुलंदशहर के कुख्यात भू-माफिया सुधीर कुमार गोयल और उनकी पत्नी श्रीमती राखी गोयल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गाजियाबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 01.07.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है।

सुधीर कुमार गोयल, उनकी पत्नी और गिरोह के अन्य सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, जालसाजी और भोले-भाले जमीन खरीदारों को डराने-धमकाने से संबंधित आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। सुधीर कुमार गोयल, पुत्र स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार गोयल बुलंदशहर, उप्र में सक्रिय एक कुख्यात भू-माफिया गिरोह चलाते हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत गैंगस्टर के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। सुधीर कुमार गोयल अचल संपत्तियों की धोखाधड़ी से बिक्री और खरीद तथा बुलंदशहर में आवासीय कॉलोनियों और घरों के अवैध विकास और निर्माण में संलिप्त हैं।

ईडी की जांच में पता चला है कि सुधीर कुमार गोयल और उसके गिरोह के अन्य सदस्यों ने अवैध रूप से 10 से अधिक कॉलोनियों का निर्माण किया है, जहां वादा किए गए भूखंड नहीं देकर निर्दोष निवेशकों से 100 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई है। सभी कॉलोनियां कृषि भूमि पर थीं, जहां भूमि का उपयोग परिवर्तित नहीं किया गया था, न ही सुविधाएं विकसित की गई थीं। इसके अलावा, या तो प्लॉट था ही नहीं या एक ही प्लॉट को कई खरीदारों को बेच दिया गया। ज़्यादातर पीड़ित आस-पास के ग्रामीण इलाकों से हैं, जो ज़्यादातर सेना, पुलिस में सेवारत हैं या कहीं और नौकरी करते हैं, जिससे उन्हें खरीदे गए भूखंड की बार-बार जांच करने या वहां जाने का मौका नहीं मिलता।

सुधीर कुमार गोयल और उनकी पत्नी श्रीमती राखी गोयल को ईडी ने 05.03.2024 को धन-शोधन के मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी को उनकी हिरासत दी गई और वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी की हिरासत में जांच के दौरान पाया गया कि इन गतिविधियों से सुधीर गोयल, उनकी पत्नी और गिरोह के सदस्यों ने अपराध की बड़ी आय एकत्र की, जिसे मुख्य रूप से कृषि और आवासीय भूमि और भूखंडों के रूप में अचल संपत्ति/संपत्तियों में निवेश किया गया था। जांच के दौरान, सुधीर कुमार गोयल और उनकी पत्नी द्वारा अर्जित 27.49 करोड़ रुपये (लगभग) की ऐसी संपत्तियों को ईडी द्वारा 31.01.2024 को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

आगे की जांच जारी है।